

## न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:—डॉ० अरूण गर्ग  
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या:- 462/2025

श्री पवन कुमार, निवासी वार्ड नं० 12, काजडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू, पिन कोड 333030, मो०न० 9828294444

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

### आदेश

दिनांक 27.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 462/2025 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4837-838 दिनांक 04.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/1448 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपलार्थी श्री पवन कुमार, निवासी वार्ड नं० 12, काजडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/336 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त संबंध में प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू ने अपने पत्र क्रमांक 1772 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि आवेदन में चाही गई सूचना का विवरण स्पष्ट नहीं होने से वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी ( अति० जिला कलक्टर ) झुंझुनू ने पत्रांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/1448 दिनांक 24.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपलार्थी श्री पवन कुमार, निवासी वार्ड नं० 12, काजडा, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनू का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 16( 4 )( 5 )न्याय/सू०अ०/2025/336 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। उक्त संबंध में प्रभारी अधिकारी, पंचायत अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू ने अपने पत्र क्रमांक 1772 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया कि आवेदन में चाही गई सूचना का विवरण स्पष्ट नहीं होने से वांछित सूचना दिया जाना संभव नहीं है। चूंकि प्रार्थी के आवेदन पत्र में चाही गई सूचना का विवरण स्पष्ट नहीं था जिसके कारण प्रार्थी को सूचना दिया जाना संभव नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयवधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



( डॉ० अरूण गर्ग )

जिला कलक्टर झुंझुनू